

राजस्थान सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 7(5)प्राशि/आयो/2015

जयपुर, दिनांक: 2/1/2017.

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय:- शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्ष 2017-18 में प्रवेश एवं काउंसलिंग की अनुमति प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक: F.No. NRC/NCTE/Recognition/Common/D.El.Ed/2016/156644-62, Date 26-08-2016, 1160506 Date 14-10-2016


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी RECOGNITION ORDER की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 के निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित कराने की शर्त पर निम्नांकित संस्थाओं को शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्ष 2017-18 में प्रवेश एवं काउंसलिंग में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

S.No.	Name and Address of the Institution	course
1.	पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बांदीकुई जिला दौसा	D.El.Ed. 100 सीटे
2	के.बी.एम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सवाई माधोपुर	D.El.Ed. 100 सीटे


यदि संस्था द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर से संबद्धता प्राप्त नहीं की है तो निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से संबद्धता प्राप्त करवाए।

~~प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर~~

  
(सुनील कुमार शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एल.आई.सी. भवन, अम्बेडकर सर्किल, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. सम्बन्धित संस्था .....
7. रक्षित पत्रावली।

  
(महेन्द्र सिंह)  
सहायक शासन सचिव

## कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-प्रारं/शि.प्र./4485/बो-II/15/ दिनांक  
शासन सचिव,  
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,  
शासन सचिवालय, जयपुर।

15/06/15

विषय:- डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने के काम में सम्बद्धता  
(AFFILIATION) अनापत्ति बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.15(1)शिक्षा-I/  
प्राशि/2006 पार्ट-I जयपुर 15.04.2015 एवं प.7(6)प्राशि/आयो/2014/जयपुर  
दिनांक 21.05.2015 के काम में निम्नांकित संस्थाओं से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर  
नये डीएलएड पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता (AFFILIATION) के काम में अनापत्ति  
इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ये संस्था एनसीटीई नार्मस एवं राज्य सरकार  
द्वारा इस संबंध में वर्तमान में प्रचलित नियम तथा राज्य सरकार एवं एफिलेटिंग बाडि  
(निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर) द्वारा समय-समय पर जारी किये  
जाने वाले निर्देशों की पालना करेगी। संस्था द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं किये  
जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व नोटिस के उक्त अनापत्ति प्रत्याहरित की जा  
सकेगी।

01. सरस्वती महिला टीचर ट्रेनिंग कालेज, कुस्तला, सवाईमाधोपुर

02. श्री मरुधर केशरी शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज, राणावास जिला पाली

03. प० दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बान्दीकुई, जिला  
दौसा

04. श्री नाथ बीएसटीसी स्कूल, बड़ीसादड़ी, चित्तोडगढ़

05. भगवति महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बरसी, जिला चित्तोडगढ़

06. दाखा देवी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, न्यू कालोनी, लालसोट, दौसा

07. मीरा महिला कालेज, (डीएलएड) सेमलपुरा, चित्तोडगढ़

08. दौसा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, दलेलपुरा जिला दौसा

भवदीय,


84

निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

01. क्षेत्रीय निदेशक उत्तर क्षेत्रीय कमेटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) 4th फ्लोर,  
जीवन निधि, एल0आइ0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

02. संबंधित संस्था-



सहायक निदेशक,  
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर